मानाराम बनाम दुर्गाराम
2024/200
निर्णय दिनांकः–08.08.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–74/2024 — दर्ज तिथिः–04.10.2024

1. मानाराम पुत्र रावताराम
2. भींयाराम पुत्र रावताराम
3. अणदाराम पुत्र रावताराम
4. मिसराराम पुत्र तगाराम
5. ओमाराम पुत्र तगाराम
6. ठाकराराम पुत्र तगाराम

जाति कुम्हार निवासी जुनाखेड़ा,लोहारवा, तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
.......................वादीगण

बनाम

1. दुर्गाराम पुत्र शेराराम
   जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी,पटवार मण्डल भीमथल,तहसील धोरीमना
   ....असल प्रतिवादीगण

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना–बाड़मेर।
   ....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री रामनिवास विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

वाद अन्तर्गत धारा–183,188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–08.08.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण [illegible] वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की [illegible] 183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी[illegible] की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 किस्म [illegible] जुनाखेड़ा पटवा[illegible] लोहारवा तहसील धोरीमना में अ[illegible] उक्त खसरे के पड़ौ[illegible] जाखड़ों की ढाणी पटवार मण्डल भीमथल की सीमा लगती है जिसके प्रतिवादी संख्या 01 अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त खेतों के बीच पक्की

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

नेखमबंदी रोढे पर नहीं होने की वजह से उक्त स्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 ने अवैध रूप से वादीगण के खसरा संख्या 39 में प्रतिवादी संख्या 01 ने रकबा 0.5100 है अर्थात 3—03 बीघा भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तो वादीगण ने अपने खेत का सीमाज्ञान आवेदन किये जाने पर तहसीलदार धोरीमना के आदेश क्रमांक भू.अ/19/111 दिनांक 06.02.2020 के तहत निर्धारित शूल्क जमा करवाने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 09.02.2020 को उक्त खसरे की सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर पहुंचे लेकिन पड़ौसी खातेदार ने सीमाज्ञान नहीं करने दिया जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 23.03.2022 को न्यायालय हाजा को अपने उक्त खसरे की पक्की नेखमबंदी हेतु आवेदन पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 39/2022 दर्ज किया जाकर पड़ौसी खातेदारों को नोटिस जारी करते हुए उनको सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.08.2023 को प्रार्थीगण के उक्त खेत की पक्की नेखमबंदी करने का आदेश प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.08.2023 की पालना में तहसीलदार धोरीमना के आदेश भू.अ/2024/832—37 दिनांक 14.03.2024 के तहत हल्का पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौजा जूनाखेड़ा के खसरा संख्या 39/7.9075 है की नेखमबंदी मिमोट्रैस नक्शे के आधार पर दोनों तरफ से नाप कर पालना रिपोर्ट के साथ वास्तविक स्थित का नक्शा बनाया जो वाद के साथ परिशिष्ट 'अ' के रूप में संयोजित है। नेखमबंदी की पालना रिपोर्ट अनुसार वादीगण के उक्त खसरे का नाप कर बिन्दु संख्या ए,बी,डी व ई पर पत्थर रोपित किये तथा सीणों पर लाल रंग से मार्किंग की गई। तथा बिन्दु संख्या एफ,जी,व एच पड़ौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ने पत्थर रोपित नहीं करने दिये तथा मौका फर्द में जरीब चलाने का संकेंत लाल रंग से दर्शाया गया,भौतिक माठ को काले रंग से दर्शाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के अवैध कब्जे में जो वादीगण की जमीन दर्शाई गई है उसे आसमानी रंग से दर्शाया गया है। वादीगण अपने पैतृक खातेदारी व सेटलमेन्ट से पूर्व से लेकर 2 वर्ष पूर्व तक कब्जा काश्त करते आ रहे है। भूमि में जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के अवैध काश्त व कब्जे में जो मौका रिपोर्ट व परिशिष्ट 'अ' के अनुसार बरंग आसमानी वादीगण के खसरा संख्या 39 रकबा 7.9075 है0 की है कब्जे में रकबा 0.5100 है0 अर्थात 3—03 बीघा है को प्रतिवादी संख्या 1 अपने खर्चे से हटाकर अतिक्रमण मुक्त कर प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल किया जावे तथा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के अवैध कब्जे में 0.5100 है0 अर्थात 3—03 बीघा भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जावे। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जे को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं होने पर उनके [illegible] में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई। वादी[illegible]ण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत
प्रदर्श—01	खाता संख्या 35 खसरा संख्या 39 जमाबंदी वाके ग्राम जूनाखेड़ा पट[illegible] हल्का लोहारवा तहसील धोरीमना	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2071—2074 जमाबंदी सम्वत 2077(वर्ष 2021)से स्थायी

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

प्रदर्श–02	वाके ग्राम जूनाखेड़ा खसरा संख्या 39 भू–नक्शा	29.08.2024
प्रदर्श–03	जमाबंदी खसरा संख्या 207/3 वाके ग्राम जाखड़ों की ढाणी पटवार हल्का भीमथल	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2071–2074 जमाबंदी सम्वत 2077(वर्ष 2021)से स्थायी
प्रदर्श–04	वाके ग्राम जाखड़ों की ढाणी खसरा संख्या 207/3 भू–नक्शा	29.08.2024
प्रदर्श–05	मौका फर्द ग्राम जूनाखेड़ा	17.06.2024
प्रदर्श–06	मौका नक्शा ग्राम जूनाखेड़ा	17.06.2024

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनके बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः–

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू–1	भींयाराम पुत्र रावताराम जाति कुम्हार	जूनाखेड़ा, लोहारवा तहसील धोरीमना

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने दौराने जिरह वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण दो प्रमुख अनुतोष चाहे गए है। वादीगण का प्रथम अनुतोष वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। द्वितीय अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–183 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

183. Ejectment of certain trespasser—

(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled as the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या–01 व 02 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या–03 व 04 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त आराजी के सेढे–सेढ प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी अवस्थित है। प्रदर्श संख्या 05 व 06 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त आराजी पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के आसमानी भाग के रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा इसी प्रकार गवाह पी. डब्ल्यू.–1 के बयानों से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी वादीगण के पैतृक आराजी है लेकिन प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर वादीगण की आराजी को हड़पने की नियत से वादीगण की उक्त आराजी पर अवैध कब्जा किया है। साथ ही प्रतिवादी सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। इस कारण वादी के द्वारा दिये गये साक्ष्य व बयान ही आधार हैं।

8. प्रकरण में प्रदर्श संख्या–01 लगायत 06 तथा पी. डब्ल्यू.–1 के बयानों के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना में अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

9. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपस्थित न्यायालय होकर पेश नहीं

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

किया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादी को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

> *(44) **"Trespasser"** shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

10. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने हेतु स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम अनुतोष स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को हटाकर प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम द्वितीय अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉं प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

12. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की [illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी [illegible] खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण [illegible] जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान [illegible] व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के [illegible] है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:–

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

13. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादीगण का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

14. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः–

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रकरण में प्रदर्श संख्या–01 लगायत 02 के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना तथा प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 207/3/7.5514 है0 वाके ग्राम जाखड़ों की ढाणी पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमना आपस में सेड़े–सेढ़ अवस्थित है। आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2071–2074 जमाबंदी सम्वत 2077 (वर्ष 2021)वाके ग्राम जूनाखेड़ा पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमना के खाता संख्या 35 के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादीगण का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादीगण की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।
अपूरणीय क्षति	वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है।

15. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की पैतृक खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादी का उक्त खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:–

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपस्थित न्यायालय होकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं है। क्योंकि वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए गए अवैध कब्जे से वादीगण को कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होते है। वादीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर किसी अन्य व्यक्ति के अवैध अतिक्रमण से होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान नुकसान के आंकलन हेतु कोई स्पष्ट मानक/मापदंड निर्धारित प्रतीत नही होता है। 2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं होकर न्यायसंगत होना प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपस्थित न्यायालय होकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

	राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	अपने आराजी की पक्की नेखमबंदी की पालना मौका रिपोर्ट व नक्से में वादीगण की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जा भलीभांती अंकित है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। 2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के 'प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। वादीगण द्वारा इस हेतु बेदखली का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना

		प्रतीत होती है।

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा तहसील धोरीमना पर वादीगण का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का वादपत्र वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा अवैध होने तथा प्रतिवादी संख्या 01 का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत् अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 01 विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

8/8/2025

Signature Not Verified

(भागीरथराम ओर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

मानाराम बनाम दुर्गाराम
2024/200
निर्णय दिनांकः–08.08.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–74/2024

दर्ज तिथिः–04.10.2024

1. मानाराम पुत्र रावताराम
2. भींयाराम पुत्र रावताराम
3. अणदाराम पुत्र रावताराम
4. मिसराराम पुत्र तगाराम
5. ओमाराम पुत्र तगाराम
6. ठाकराराम पुत्र तगाराम

जाति कुम्हार निवासी जुनाखेड़ा,लोहारवा, तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

.........................वादीगण

बनाम

1. दुर्गाराम पुत्र शेराराम
जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी,पटवार मण्डल भीमथल,तहसील धोरीमना

.................असल प्रतिवादीगण

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना–बाड़मेर।

...........................तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री रामनिवास विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा
वाद अन्तर्गत धारा–183,188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना

–:पर्चा डिक्रीः–

वादीगण का वादपत्र वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/7.9075 है0 वाके ग्राम जूनाखेड़ा पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमना पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा अवैध होने तथा प्रतिवादी संख्या 01 का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत् अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 01 विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

Signature Not Verified

यह डिक्री आज दिनांक 08.08.2025 को लिखवाकर बोलकर खुले–इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना